



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 श्रावण, 1947 (श०)

संख्या - 369 राँची, शुक्रवार,

25 जुलाई, 2025 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

23 जुलाई, 2025

अधि०सं०-परि०वि०(GGY)-49/2023- 857-- परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या-1451, दिनांक-18.12.2023 द्वारा झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण मार्गों को अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिसूचना के अंतर्गत गुमला जिला के लिए अधिसूचित मार्ग संख्या-124 में मार्ग का नाम टंकणीय भूलवश मार्ग का नाम अंकित नहीं हो पाया है। इस संबंध में उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, राँची के पत्रांक-818, दिनांक-01.12.2023 के माध्यम से प्रेषित अनुमोदित मार्ग की सूची में प्रस्तुत मार्ग गुमला से जैरागी भाया गुमला, करमटोली, चैनपुर, डुमरी, जैरागी के रूप में अनुशंसित है।

उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-1451, दिनांक-18.12.2023 द्वारा अधिसूचित ग्रामीण मार्ग संख्या-124 को निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

ग्रामीण मार्ग

क्र. सं.	मार्ग का नाम	भाया	मार्ग में पड़ने वाले स्कूल, अस्पताल, बाजार/हाट, रेलवे स्टेशन का नाम	मार्ग की कुल लंबाई (कि.मी.)
जिला :- गुमला				
1.	गुमला से जैरागी	गुमला, करमटोली, चैनपुर, डुमरी, जैरागी	अन्ना कान्वेंट स्कूल, बरवा हाई स्कूल, तिगवल प्राथमिक स्कूल	88 कि.मी.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राज किशोर कुमार,
सरकार के अवर सचिव,
परिवहन विभाग ।
